न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 244 / 18 निर्णय दिनांकः—22.10.2018

1. बुधराम पुत्र बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत चक 6 एमडीएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जगदीश पुत्र श्री लाखराम जाति बिश्नोई निवासी मोडायत तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16—04—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 16—04—1999 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सिलिंग सीमा से अधिक भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 6 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 143/01 के किला नम्बर 11, 19 ता 22 की भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से चक 6 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 143/01 के किला नम्बर 6, 7, 12, 13, 14 ता 18, 23 ता 25 में 10.2 बीघा कमाण्ड गैर खातेदारी भूमि होने का अंकन किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की समस्त स्त्रोतों से 39.16 बीघा कमाण्ड गैर खातेदार भूमि मानकर तत्कालीन सिलिंग सीमा 43 बीघा कमाण्ड मानते हुए उक्त 4 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र धोषित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 16—04—1999 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गलत तथ्यों को रखते हुए व अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी श्रीमती रामीदेवी के नाम ग्राम खेतोलाई बुर्ज के खसरा नम्बर 120 में 9.6500 हेक्टर भूमि जिसमें से 1/2 हिस्सा अर्थात लगभग 19 बीघा भूमि, चक 6 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 143/17 के किला नम्बर 19 ता 23 में 5 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/34 के किला नम्बर 19 ता 24 में 1 बीघा कमाण्ड व 4.17 बीघा अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/02 के किला नम्बर 3 ता 7, 15, 16 में 7 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/35 के किला नम्बर 1 ता 4, 8 ता 11 कुल 7.12 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/38 के किला नम्बर 8 व 9 में 2 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 22.12 बीघा कमाण्ड व 4.17 बीघा अनकमाण्ड व 19 बीघा बारानी भूमि व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वयं के नाम से चक 6 जी.एम. आर के मुरब्बा नम्बर 102/43 के किला नम्बर 18, 19, 23 ता 24 में 4. 16 बीघा कमाण्ड, चक 4 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 102/44 के किला नम्बर 2 ता 4, 6 ता 9 में 7 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 102/52 के किला नम्बर 1, 2, 7 में 3 बीघा कमाण्ड, चक 6 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा

नम्बर 143/10 के किला नम्बर 3 में 0.16 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/09 के किला नम्बर 16 में 1 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/01 में किला नम्बर 6, 7, 12 ता 18, 23 ता 25 में 10.0 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/9 के किला नम्बर 9 ता 13, 17 ता 25 में 11.15 बीघा कमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 143/10 के किला नम्बर 1 ता 3, 20 में 5. 17 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 44.06 बीघा भूमि होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सिलिंग सीमा से संबंधित शपथ पत्र लिये बिनास स्मालपेच आवंटन की कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की चक 6 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 143/01 में गैर खातेदारी भूमि थी तथा किसी भी गैर खातेदार को स्मालपेच आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अन्य पात्र व्यक्तियों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील जो निरस्त किये जाने योग्य होने निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी गैर खातेदारी भूमि बाबत् धोषणात्क दावा प्रस्तुत करने पर उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर उक्त पत्रावली उपनिवेशन के राजस्व में विलय होने के पश्चात् काफी खोजबीन के उपरान्त पत्रावली मिली जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 31—05—2018 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तैयारी नकल दिनांक 01—06—2018 को प्राप्त होने पर अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तंग व पेरशान करने की नियत मात्र से न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी तथ्यों को छिपाकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उपस्थित आने पर अपीलांट द्वारा कानून के नियमों का दुरूपयोग करते हुए मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निरस्त फरमा दिया गया। जिसकी निगरानी अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रकार जहॉ पक्षकार व वाद बिन्दु समान हो वहॉ अपीलांट की अपील रेस्ज्यूडिकेसा से बाधित है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 20 वर्षो के उपरान्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करने हेतु जो कारण अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में प्रस्तुत किये गये है वे अपने आप में स्पष्ट व युक्तियुक्त कारण नहीं है। जिसके आधार पर अपीलांट को धारा 5 मियांद अधिनियम में किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की जा सके।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में व दौराने बहस यह तो अभिकथन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण में सिलिंग सीमा से अधिक भूमि निहित है जबकि अपीलांट यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि वे इस अपील से किस प्रकार प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट द्वारा अपने धारण की भूमि के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वे इस भूमि को प्राप्त करने हेतु हितबद्व पक्षकार है। केवल मात्र मौखिक कथनों के आधार अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं होती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत् रूप से संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई व उक्त रिपोर्ट के आधार पर व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अदालत

मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन विधिक रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16—04—1999 को चक 6 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 143/01 की 3.15 बीघा भूमि का स्मालपेच आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तथ्यों को छिपाते हुए व अपने धारण की भूमि को छिपाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी श्रीमती रामीदेवी के नाम ग्राम खेतोलाई बुर्ज में कुल तादादी 22.12 बीघा कमाण्ड व 4.17 बीघा अनकमाण्ड व 19 बीघा बारानी भूमि व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्वयं के नाम से कुल तादादी 44.06 बीघा भूमि होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

(3) इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सबसे महत्वूपर्ण तथ्य व विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मुख्य आपत्ति यह है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत अपील है अतः अपीलांट की अपील इन बिन्दुओं पर ही खारिज फरमाई जावे।

(4) इस संबंध में सर्वप्रथम अपील में मियांद के बिन्दु की व्याख्या किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत होगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील करीब 21 वर्ष विलम्ब से बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलांट का विलम्ब का मुख्य कारण यह अभिलिखित किया गया है कि पत्रावली के उपनिवेशन से राजस्व में विलय होने के कारण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उपनिवेशन का राजस्व में विलय वर्ष 2015 में हुआ था। जबकि अपीलाधीन आदेश वर्ष 1999 में पारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1999 से 2015 तक के मध्य करीब 16 वर्ष का विलम्ब का कोई औचित्य अपीलांट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया है।

(5) प्रकरण में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बन्दोबस्ती खातेदार था जो समरी सेटलमेंट का काश्तकार था। उपनिवेशन में भूमि नहर में आने के कारण गैर खातेदार दर्ज हुआ था। जिसे वर्ष 2015 से पूर्व खातेदारी 15एएए के तहत प्राप्त हो चुकी थी। लिहाजा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार की हैसियत से लघुपट्टी का पात्र अपील से पूर्व हो चुका था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश के करीब 20 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत करने का कोई कानूनी औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

(6) प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खातेदार श्रेणी का कृषक है व आवंटन पश्चात् अपनी स्थिति को परिवर्तन कर चुका है लिहाजा खातेदार व आवंटन को 20 वर्ष पश्चात् अकारण विलम्ब के चुनौती देना हानिकर होगा। ऐसी खातेदारी को उपनिवेशन अधिनियम के तहत नहीं वरन् टीनेन्सी एक्ट के तहत चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष अपीलांट ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद संस्थित किया। जिसमें अपीलांट असफल हो चुका है। फलस्वरूप अपीलांट ने उपनिवेशन अधिनियम के तहत 20 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के स्मालपेच आवंटन को अनौचित्यपूर्ण विलम्ब से क्षमा चाहते हुए अपील का रास्ता अख्तियार किया गया है। जो क्षुब्धकारी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनावश्यक पेरशान व तंग करने वाला है।

(7) प्रकरण में अपीलांट वादगत् भूमि पर किस प्रकार हितबद्व पक्षकार है यह दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वे वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र माना जावे या वादगत् भूमि पर उसके किसी प्रकार के हक व हकूक साबित होते हो।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील लोकस स्टेण्डाई व मियांद के बिन्दु पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत दिनांक 16–04–1999 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.08 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: